ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriaya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

AssociateProfessor & Public Information Officer

27/2022-23/2047/ 72

दिनांक : 01 /12/2022

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 29.10.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रम	मांगी गई जानकारी	प्रदान की गई सूचना
1	पी-एच.डी. शोध-निर्देशक नियमित प्रोफेसर जो नामित (एलॉट) हुए थे। वही प्रोफेसर 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। ऐसी स्थिति में वही प्रोफेसर शोध-निर्देशक नियमित शोधार्थी के रहेंगे या बदले जाएंगे। यदि ऐसा कोई प्रावधान यूजीसी के तरफ से हुआ है तो वह किस सत्र में आदेश जारी हुआ। उसकी प्रमाणित छायाप्रति देने का सहयोग कीजिए।	पीएच.डी. अध्यादेश के बिंदु 9.1(a) के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक ही पीएच.डी. शोध निदेशक बन सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पत्र D.O. No. F. 10-6/2011 (PS) Misc दिनांक 06.07.2015 का अवलोकन करें। उसमें निम्नांकित उल्लेख किया गया है "It is further clarified that any Ph.D/M.Phil Degree awarded by a University under the supervision of as supervisor who is not a faculty member of the University of its affiliated PG Colleges/institutes would be in violation of UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil/Ph.D. Regulations 2009"
2	शोधार्थी द्वारा शोध कार्य पूर्ण हो जाने पर शोध-निर्देशक की अनुमति, विभाग से पी-एच.डी. शोध पूर्व प्रस्तुति सेमिनार के बाद, पी-एच.डी. शोध-प्रबंध मूल्यांकन हेतु विभाग में जमा करने के बाद क्या शोध-निर्देशक बदला जा सकता है ? यदि यूजीसी और म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है तो उस आदेश की प्रमाणित छायाप्रति देने का सहयोग कीजिए।	बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार।

...2

3	शोधार्थी और शोध-निर्देशक के बिना अनुमति, सहमति सूचना के क्या शोध-निर्देशक एकाएक बदला जा सकता है ? यदि यूजीसी की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान है तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति देने का सहयोग कीजिए।	पीएच.डी. अध्यादेश के बिंदु 9.1 (a) के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक ही पीएच.डी. शोध-निदेशक बन सकते हैं। चूंकि आवेदक के शोध-निदेशक सेवानिवृत्त हो चुके है। सेवानिवृत्त प्रोफेसरों के अंतर्गत जमा शोध पत्रों की विसंगतियाँ संज्ञान में आने के बाद उसके निराकरण के लिए विभाग के नियमित शिक्षक को ही शोध निर्देशन का दायित्व सौंपा जा रहा है। इसके तहत ही स्त्री अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 24.08.2022 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में डॉ. सुप्रिया पाठक, अध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग को श्री रजनीश कुमार अंबेडकर के शोध-निदेशन का दायित्व सौपा गया है।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं –

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(शुभ जोशी)
01/12/2022